



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-128/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री पोखर जाट द्वारा नायकी एवं केकड़ी ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	खनिज	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	मैसर्स श्री पोखर जाट पुत्र श्री काना जाट खसरा संख्या 523	10/2021	1.7858	ग्रेनाइट	273000
2	मैसर्स मरुधर ग्रेनाइट	10/2010	1.0	ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन	71568
3	मैसर्स श्री जी.डी. ग्रेनाइट	11/2010	1.0	ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन	51240
4	श्री रामकिशन गुर्जर	16/2018	1.0038	ग्रेनाइट	245624
5	श्री बालू माली	38/2018	1.3373	ग्रेनाइट	240000
6	मैसर्स शातिनाथ ग्रेनाइट एवं मिनरल्स	46/2018	1.6245	ग्रेनाइट	245624
7	श्री रामेश्वर जाट	41/2018	1.1603	ग्रेनाइट	261370
8	श्री संजय मित्तल	67/2018	1.0134	ग्रेनाइट	78792
9	श्री राधेश्याम लोधा	114/2018	1.6238	ग्रेनाइट एवं मैसनरी स्टोन	183780

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 11.5489 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-1650998 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम नायकी एवं केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री पोखर जाट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-केकड़ी, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/11102 दिनांक 15.09.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 30/10/2021 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाड़िया, तहसील केकड़ी, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तेंवर)

पर्यावरण अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी